

25.5.18


पत्रावली डा.प कोर्ट-चंवर में पेश हुई। पत्रावली का आवेदन किया गया। वादी वादपत्र में डॉकिल भूमि का खातेदार दर्ज रिकार्ड नहीं है। वादी द्वारा प्रति.नं. 3 से करिये विद्युत पत्र दिनांक 8.7.2015 के 160 व.मी. भूमि लुप्त किया जाना डॉकिल किया है। धारा 53 के प्रावधान अनुसार स्व. रिकार्ड खातेदार ही अपनी भूमि का विक्रय करवाने का अधिकारी है। क्रि.मा.नु.क्र. 0.11 है. से काम भूमि का सार्व रिपोर्ट में इन्फॉर्म गयी किमा जा सकता है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा लुप्त भूमि कृषि उपयोग हेतु लुप्त की जानी प्रतिक नहीं होती है। धस्तुत वादपत्र के करिये वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी का वादपत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतिक होगा है।

आदेश

वादी का वादपत्र आधारहीन होने के खारिज किया जा रहा है।

पत्रावली में बाल भुगतान होकर नवंबर से काम हो तथा दाखिल दफतर हो

निर्णय डा.प दिनांक 25-5-18 को कोर्ट-चंवर में सुनना गया

  
 उषखण्ड अधिकारी  
 उषखण्ड जिला